राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान–302005

क्रमांकः एफ 7(94)/परि/नियम/मु/2020/6888 जयपुर,दिनांकः 27.04.2020

प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
समस्त।

विषयः दिनांक 31.03.2020 तक विक्रित BS-IV वाहनों के पंजीयन के संबंध में।

कृपया इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6875 दिनांक 24.04.2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा दिनांक 31.03.2020 तक विक्रित वाहनों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पंजीयन दिनांक 30.04.2020 तक किये जाने के विषय में दिशा निर्देश प्रदान किये गये थे। इसी संबंध में कतिपय पंजीयन अधिकारियों द्वारा अवगत करवाया गया है कि दिनांक 31.03.2020 तक विक्रित कुछ BS-IV वाहन 'वाहन 4.0' सॉफ्टवेयर पर ENTERED नहीं हैं, उनका पंजीयन किस प्रक्रिया से किया जाना है, इस बाबत दिशा निर्देश चाहे गये हैं।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जो BS-IV वाहन दिनांक 31.03.2020 तक इनवाईस करके विक्रित किये जा चुके हैं तथा किन्ही कारणों से 'वाहन 4.0' सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं हो पाये हैं, ऐसे वाहनों को संबंधित जिला परिवहन अधिकारी (पंजीयन अधिकारी) के स्तर से ही दर्ज किये जाने का व्यवस्थापन 'वाहन 4.0' पर किया जा चुका है। ऐसे वाहनों का विवरण सॉफ्टवेयर पर दर्ज करने करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि इनका बीमा दिनांक 31.03.2020 तक ऑनलाईन तरीके से हो चुका है। दिनांक 31.03.2020 के बाद के बीमा वाले वाहनों का पंजीयन किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे। बीमा कवर नोट/प्रमाण पत्र पर बीमा प्रारंभ होने की अंकित तिथि तथा रियल टाइम को भली भांति जांच कर वाहनों का विवरण सॉफ्टवेयर में दर्ज करते हुए पंजीयन किया जाना सुनिश्चित करें।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त

Parivahan Bhawan, Sahkar Marg, Jaipur, Rajasthan. 302005, Phone- 0141-2850611, Fax 0141-2740177,
website : www.transport.rajasthan.gov.in, e-mail- transport@rajasthan.gov.in

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं पालनार्थ

क्रमांकः एफ 7(94) / परि / नियम / मु / 2020 / 6889—99 जयपुर,दिनांकः 27.04.2020

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. समस्त जिला कलेक्टर
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
6. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण / कर्मचारीगण।
7. समस्त प्रादेशिक / अति. प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी।
8. श्री श्रीपाल यादव, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. परिवहन मुख्यालय।
9. श्री रजनीश, जन संपर्क अधिकारी, को समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
10. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)